संख्या:2779/79–6–2007–1(9)05

प्रेषक,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊः दिनांकः21 नवम्बर ,2008

विषयः प्रदेश के शासकीय एवं परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत की दर में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त **प्राथमिक विद्यालयों एवं ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों** में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन की परिवर्तन लागत के अंतर्गत **राज्यांश को 50 पैसे प्रतिछात्र प्रतिदिन से बढ़ाकर 92 पैसे प्रतिछात्र प्रतिदिन** एवं इसी प्रकार प्रदेश के **राजकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों** में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन की परिवर्तन लागत के अंतर्गत **राज्यांश को 50 पैसे प्रतिछात्र प्रतिदिन से बढ़ाकर 90 पैसे प्रतिछात्र प्रतिदिन** करते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत की धनराशि में क्रमशः रूपये 0.42 एवं रूपये 0.40 प्रतिछात्र प्रतिदिन की धनराशि बढाये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त निर्णय के क्रम में प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत की कुल दर जो वर्तमान में रू0 2.08 प्रतिछात्र प्रतिदिन है, बढ़कर रू0 2.50 प्रतिछात्र प्रतिदिन हो जायेगी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु परिवर्तन लागत की यह दर रू0 2.60 प्रतिछात्र प्रतिदिन से बढ़कर रू0 3.00 प्रतिछात्र प्रतिदिन हो जायेगी।

3– उपर्युक्त परिवर्तन लागत की नवीन दर वर्तमान शिक्षा सत्र में **1 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य होगी**। इसका वहन चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत आवंटित परिवर्तन लागत की धनराशि से किया जायेगा।

4– मध्याह्न भोजन योजना हेतु निर्धारित नवीन परिवर्तन लागत से समस्त ग्राम पंचायतों/नगरनिकायों/महिला समाख्या तथा स्वंय सहायता समूहों को दिनांक–1 दिसम्बर, 2008 से पूर्व जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि नवीन परिवर्तन लागत के अनुसार भोजन पकाये जाने की व्यवस्था इनके द्वारा ससमय सुनिश्चित की जा सके।

5– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 की अशासकीय संख्या–2258/दस–2008 दिनांक–18.11.08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव।

mdm/75

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– समस्त कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
4– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
5– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
6– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
7– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार)
विशेष सचिव ।

mdm/76